पत्रांक–NULM-PMC/001/SUH/2015-16 53 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

विशेष सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद/नगर पंचायत, छपरा/सहरसा/सासाराम/हाजीपुर/सिवान/बेतिया/मोतिहारी/किशनगंज/बक्सर/जहानाबाद/औरंगाबाद/लखीसराय/नवादा/जमुई/अररिया/मधुबनी/सीतामढ़ी/गोपालगंज/सुपौल/समस्तीपुर/शेखपुरा/मधेपुरा/भभुआ/खगड़िया/अरवल/बांका/शिवहर/सुल्तानगंज/बोधगया/राजगीर/लालगंज/हवेली खड़गपुर/गोगरी जमालपुर/नवगछिया/अमरपुर/वारसलीगंज एवं झाझा।

पटना/दिनांक 29.7.15

विषयः– **आश्रय स्थल (Shelter for Urban Homeless) निर्माण/प्रगति का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय कार्यालय आदेश सं0–10 सहपठित ज्ञापांक–402 दिनांक–13.01.15 द्वारा योजना के अधीन आश्रय स्थल बनाने हेतु रू0 140714000.00 (चौदह करोड़ सात लाख चौदह हजार रू0 मात्र) एवं ज्ञापांक–128 दिनांक–06.02.15 द्वारा रू0 37030000.00 (तीन करोड़ सत्तर लाख तीस हजार रू0 मात्र) उपलब्ध करा दी गई है। ड्राईंग एवं डिजाईन में संशोधन के फलस्वरूप मानक प्राक्कलन की स्वीकृति के दौरान प्रति SUH राशि वर्द्धित कर रू0 49,33000.00 (उनचास लाख तेतीस हजार रू0 मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है। परन्तु आश्रय स्थल का निर्माण कार्य आपके द्वारा प्रारंभ नही किया गया है, न ही आपके द्वारा इस संबंध में मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है, जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि वाद सं0–W.P (Civil)- 55/2003, E. R. Kumar & Anr बनाम भारत सरकार से संबंधित वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।

अतः आश्रय स्थल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाय तथा विभाग को मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,
29.7.15
विशेष सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।